

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – Monitoring & Evaluation

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रा0स्वा0 के0 पर चिकित्सा पदाधिकारी/ बी.एच.एम. के नियमित टीकाकरण के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भ्रमण के लिए वाहन मद (Mobility support for Supervision & Monitorig at District Level)।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या – पार्ट बी के एफ.एम.आर. सं. 15.3.2.b

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – बी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

इस मद से भी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु रू0 1,30,000/- का आवंटन दिया जा रहा है। यह राशि नियमित टीकाकरण के पार्ट सी.1.ए में आवंटित राशि रू0 50,000/- के साथ सम्मिलित करते हुए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के लिए पूरे एक गाह के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित दर के अनुसार भाड़े पर वाहन रखने हेतु प्रयुक्त किया जायेगा। इस वाहन से जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इसी के साथ रू0 8,13,000/- रू0 पोलियो की दृष्टि से संवेदनशील सभी 15 जिलों के सभी 258 प्रा.स्वा.के. के लिए पी.ओ.एल. हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। (सूची संलग्न)

इकाई राशि (रू0 लाख में)

1. रूपये 1,30,000/- रूपये प्रति जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हेतु नियमित प्रतिरक्षण कार्य[म के अनुश्रवण के लिए पूरे वर्ष के लिए।
2. पोलियो की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के प्रास्वा.के. के चिकित्सा पदाधिकारी / बी.एच.एम. द्वारा कम से कम 20 सत्र स्थल का पर्यवेक्षण किया जायेगा। जिसके लिए उन्हें POL के रूप में कुल 8,13,000/- अतिरिक्त राशि आवंटित की जा रही है (जिलावार अतिरिक्त आवंटन की सूची संलग्न)।

वित्तीय दिशा निर्देशन

भाड़े के वाहन का उपयोग राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा भाड़े पर वाहन रखने हेतु निर्धारित दर पर किया जायेगा।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान भरे गए आर.आई मॉनिटरिंग प्रपत्र राज्य स्तर पर भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, द्वारा वाहन मद में प्राप्त राशि का भी उपयोग नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिला एवं प्रा0स्वा0के0 के स्तर पर किया जा सकता है। साथ ही अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु DPMU एवं BPMU के अन्तर्गत प्राप्त राशि का भी उपयोग इस हेतु किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम डा.गोपाल कृष्ण, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर 9771493836 / 0612-2290351